भट्टा मजदूर

पत्रिका 08

जून – अगस्त 2016

ईंट भट्टा उद्योग से बंधुआ मजदूरी का खात्मा

एक इज्जत भरी जिंदगी की चाह : एकजुट होती महिला भट्टा मजदूर

पंजाब की हजारों महिला भट्टा मजदूरों ने एकजुट होकर अपने 'अच्छे दिन' साकार करने के लिए अपने साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है।

पंजाब में दलित मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय संगठन वॉलंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस (वीएसजे) ने हाल ही में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया था जिसमें पंजाब की महिला भट्टा मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फिलोर में सक्रिय वॉलंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस द्वारा आयोजित किया गया यह कन्वेंशन अपनी तरह का पहला आयोजन था। 22 अप्रैल 2016 को भटिंडा में आयोजित इस कन्वेंशन में विभिन्न क्षेत्रों के जाने–माने लोगों के साथ 1500 से ज्यादा महिला मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये औरतें हमारे देश की प्रायः ओझल रहने वाली श्रमशक्ति का हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर कथित निचली जातियों व जनजातियों से आती हैं। मगर कन्वेंशन में बराबर मजदूरी और बेहतर आवास की मांग पर उन्हीं की आवाजें सबसे बुलंद और पुख्ता सुनाई दीं।

अपने–अपने घर–गांव से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने वाले भट्टा मजदूरों के हालात बेहद दयनीय हैं। मगर जब भट्टों में काम करने वाली महिला मजदूरों पर नजर जाती है तो हालात और भी भयानक दिखायी देने लगते हैं। भट्टों में रहने वाली इन औरतों के पास न तो सही खाने को होता है और न ही उनके पोषण की सुविधाएं होती हैं। भट्टों में स्वास्थ्य के साधन और सुविधाएं नहीं होतीं। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी गर्भावस्था के आखिरी दौर तक काम करना पड़ता है। लंबी–लंबी पालियों में खड़े रहकर या उकड़ूं बैठकर काम करने से उनकी पीठ दुखने लगती है, उनके पेट में दर्द की लहरें उठती हैं मगर जिंदगी के कठोर हालात को स्वीकार करते हुए वे इस सारे दर्द को सहती चली जाती हैं।

भारत के भट्टों में तकरीबन एक करोड़ मजदूर काम करते हैं और उनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। पंजाब के भट्टा मजदूरों के बारे में अभी भी पूरे आकड़े मौजूद नहीं हैं मगर वीएसजे द्वारा मुहैया कराये गये बहुत सीमित अनुमानों से भी यही लगता है कि राज्य भर में कम से कम छह लाख भट्टा मजदूर हैं और उनमें से तीन लाख महिलाएं हैं।

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भट्टा मजदूरों में मांसपेशियों से संबंधित तरह–तरह की बीमारियां जड़ें जमा लेती हैं और नतीजतन वे अकसर बीमार पड़ते रहते हैं।

सेंटर फॉर साइंस ऐण्ड एन्वायर्नमेंट (सीएसई) के अध्ययन में पाया गया है कि भारत के भट्टों में तकरीबन एक करोड़ मजदूर काम करते हैं और उनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। पंजाब के भट्टा मजदूरों के बारे में अभी भी पूरे आकड़े मौजूद नहीं हैं मगर वीएसजे द्वारा मुहैया कराये गये बहुत सीमित अनुमानों से भी यही लगता है कि राज्य भर में कम से कम छह लाख भट्टा मजदूर हैं और उनमें से तीन लाख महिलाएं हैं। वीएसजे के महासचिव जयसिंह के अनुसार, भट्टा मालिक पीपीएफ कमिश्नर के पास महिला मजदूरों का कोई रिकार्ड नहीं भेजते क्योंकि महिलाओं को स्वतंत्र मजदूर नहीं माना जाता है। भट्टा मालिक उन्हें पुरुष मजदूरों की केवल मददगार के रूप में देखते हैं और लिहाजा सारे करार या अनुबंध केवल उनके घर के पुरुषों के साथ ही किये जाते हैं। जब भी महिलाएं भट्टा मालिकों के द्व ारा उनके साथ होने वाले शोषण का सवाल उठातीं हैं तो कोई उनकी नहीं सुनता। इन्हीं हालात को देखते हुए वीएसजे ने भटिंडा में इस कन्वेंशन के आयोजन का फैसला लिया।

मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वीएसजे कार्यकर्ता गंगा शेखर ने

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017

फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org

सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

बताया कि "इस कन्वेंशन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिला मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया जाए, उन्हें सम्मानजनक जीवन, आवास, शौचालय और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए आवाज उठाने को प्रेरित किया जाए।

इन भट्टों में महिलाएं गुलामों–सा जीवन जीती हैं। उनमें से ज्यादातर भूमिहीन, निचली जातियों से आती हैं और भीषण गरीबी उन्हें तरह–तरह के शोषण की ज़द में ढकेल देती है। पंजाब विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर श्री मंजीत सिंह कहते हैं कि महिलाएं दासता की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं – वे पुरुषवादी व्यवस्था, (पितृसत्ता) जाति व्यवस्था और न्यूनतम मजदूरी की बेड़ियों में कैद जकड़ी हुई हैं – और उन्हें भयानक जिंदगी गुजारनी करनी पड़ती है।

कन्वेंशन में छत्तीसगढ़ की महिला मजदूरों ने बताया कि कैसे उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है जहां अकसर वे बहुत शर्मनाक स्थिति में फंस जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो उनके काम की मान्यता मिल रही है और न ही एक औरत के तौर पर मान्यता दी जा रही है। तीन–चार साल से पंजाब के भट्टों में गुलामों जैसा जीवन जी रही उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने भी खुलकर अपनी परेशानियां बतायीं।

पंजाब विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर गोपाल अय्यर भी इस कन्वेंशन में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि यह स्थिति बंधुआ मजदूरी कानून, 1976 की किसी खामी के कारण नहीं है बल्कि इन मजदूरों का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार इस कानून को लागू नहीं करना चाहती। मजदूरों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें उससे कम मजदूरी मिलती है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए मगर जब वे अफसरों के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो भट्टा मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रो. अय्यर के अनुसार, मजदूर यूनियनों और आला अफसरों, दोनों को इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए के लिए आवाज उठानी चाहिए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव तथा काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के प्रोफेसर के बी सक्सेना ने कहा कि पंजाब के भट्टों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 6 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और उनमें से 4 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों से आये प्रवासी मजदूर हैं। पूरे भारत में यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूरी प्रचलित है और इन बंधुआ मजदूरों में से आधी से ज्यादा महिलाएं हैं।

वीएसजे कार्यकर्ता गंगा शेखर ने बताया कि "इस कन्वेंशन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिला मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया जाए, उन्हें सम्मानजनक जीवन, आवास, शौचालय और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए आवाज उठाने को प्रेरित किया जाए।"

ईंट भट्टों में श्रम कानूनों की खुलकर धज्जियां उड़ायी जाती हैं। भट्टों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरपी) और जिला मजिस्ट्रेटों के पास हर साल बंधुआ मजदूरी से रिहाई के लिए सैकड़ों अर्जियां दायर होती हैं। इन भट्टों में काम करने वाली महिला मजदूरों को न तो प्रॉविडेंट फंड मिलता है और न ही उन्हें प्रसूति लाभ मिलता है।

जैसा कि ब्रिक किल्न ऐण्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के प्रदेश सचिव जगसीर सिंह सीरा कहते हैं, पंजाब के 191 भट्टों में आज तक एक भी औरत को प्रसूति लाभ नहीं मिला है। इन भट्टों की महिला मजदूरों को न तो मजदूरों के रूप में मान्यता दी जाती है और न ही उनके काम को कोई पहचान मिलती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ताजा फैसले में कहा गया है कि अगर यह पाया जाता है कि भट्टा मालिक द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत जरूरी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर नहीं रखे जा रहे हैं तो ऐसे भट्टों के मजदूरों को बंधुआ मजदूर ही माना जायेगा।

वीएसजे के प्रतिनिधियों का मानना है कि भट्टों में काम करने वाली गरीब मजदूरों को एकजुट करने और उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने से स्थायी फर्क पड़ सकते हैं। उनकी नजर में यह आयोजन निर्माण उद्योग में महिला मजदूरों के योगदान को पहचान और जगह देने का एक अहम दिन था। इसी तरह के प्रयासों के फलस्वरूप अब यौन उत्पीड़न की शिकार, न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित महिला मजूदरों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी चिंताओं को दूर किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि अब वे ओझल नहीं रहेंगी।

इस कन्वेंशन में हिस्सा लेने वाली मजदूरों ने कहा कि यह पहला मौका था जब उन्हें मुल्क की नागरिक होने का अहसास हुआ है, जहां उन्हें भी सैकड़ों दूसरीमहिला मजदूरों के साथ सम्मानपूर्वक खाने–पीने और बात करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश की एक महिला ने कहा, "यहां हमें अपने हकों के लिए लड़ने का नया सबक मिला है।" इस आयोजन का एक सकारात्मक पहलू यह है कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होने और लड़ने के आह्वान को समझने और स्वीकार करने वाली महिला मजदूरों की संख्या अब सभी जगह बढ़ती जा रही है।

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

कर्ज के जाल से मौत के जाल तक : ईंट भट्टों में गुमशुदा बचपन

ऑस्ट्रेलिया स्थित वॉक फ्री फाउंडेशन, इंडिया द्वारा तैयार किये गये 2016 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (वैश्विक दासता सूचकांक) के अनुसार दुनिया में तकरीबन 3.6 करोड़ लोग गुलाम हैं और उनमें से लगभग आधे भारत में हैं।

हमारे देश में बहुत सारे बच्चे काम की तलाश में अपने मां–बाप के साथ सफर पर निकलते हैं। उनमें से ज्यादातर खेतों, कपड़ा कारखानों, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, आतिशबाजी कारखानों, माचिस कारखानों में और न जाने किस–किस तरह के खतरनाक व्यवसायों में बाल मजदूर बन कर रह जाते हैं। उनके साथ होने वाले शोषण और हिंसा की कोई इंतेहा नहीं होती।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून, 1986 के माध्यम से कुछ व्यवसायों व प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर रखने पर पाबंदी लगा दी गयी है। इस कानून के तहत जिन व्यवसायों में बच्चों की नौकरी पर पाबंदी नहीं है उनके बारे में भी बच्चों की कार्य परिस्थितियों के बारे में निश्चित नियम बनाये गये हैं।

ईंटों के भट्टे आमतौर पर शहरों से दूर होते हैं ताकि उनके लिए खुली जगह, कच्चा माल और सस्ते मजदूर आसानी से मिल सकें। ये सस्ते मजदूर गरीब प्रवासी मर्द, औरतें और बच्चे होते हैं। अकसर ये बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ आदि गरीब और पिछड़े राज्यों के बंधुआ मजदूर होते हैं। महिलाओं और बच्चों का बड़ी आसानी से शोषण किया जा सकता है क्योंकि कभी भी उनकी मजदूरी को खातों में दर्ज नहीं किया जाता और वे प्रायः ओझल रहते हैं।

अपने मां बाप द्वारा लिये गये कर्जे को चुकाने के लिए बच्चों को भी भट्टों में काम करना पड़ता है। वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके अकुशल या भूमिहीन कृषक मां–बाप को कोई कर्जा चुकाना है। इस कर्जे के लिए अकसर इन बच्चों को जमानत या रेहन के तौर पर हाजिर किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रायः बच्चों को भी पूरे दिन काम करना पड़ता है ताकि

परिवार के मुखिया को मिलने वाली आमदनी में थोड़ी और वृद्धी हो जाए।

भट्टों के मौसम के अनुसार चलने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा काम करने और बेहतर कमाई की उम्मीद में अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ जाते हैं। भट्टों पर बच्चों के साथ मारपीट, धमकियां, उनसे जबरन काम कराना एक आम बात है। भट्टों में इसी तरह दिन काटते हुए वे बड़े होते हैं और शिक्षा से लगातार वंचित होते जाते हैं।

गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के पास सुराना में स्थित एक ईंट भट्टे में 6 साल की खतीजा और 4 साल की फातिमा मृत पायी गयीं। बताया जाता है कि वे भट्टे के भीतर गिर गयी थी। खतीजा और फातिमा के पिता फुरकान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में स्थित नगला रियावली के रहने वाले हैं। फुरकान का आरोप है कि दोनों लड़किया भट्टे के ऊपर खुले छोड़ दिए गए एक छेद से भीतर गिर गई थीं जहां दम घुटने और जलने से उनकी मौत हो गयी। लापरवाही के कारण मौत के आरोप में भट्टा मालिक के खिलाफ धारा 304ए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय भट्टा पिछले 10–15 दिन से बंद पड़ा था मगर उसमें जहरीली गैसें अभी मौजूद थीं और भीतर काफी गर्मी थी जिसके कारण ये दोनों लड़किया मर गयीं।

पश्चिम बंगाल के टीना ब्रिक फील्ड में घटी इसी तरह की एक और घटना भी बेहद चौंका देने वाली है। 10 साल की स्वपना अपनी 3 साल की चचेरी बहन चांदनी को गोद में लिए जा रही थी कि उसका पांव प्लास्टिक की एक चादर पर पड़ गया। असल में प्लास्टिक की यह चादर भट्टी को ढकने के लिए बिछायी गयी थी।

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

स्वपना का पैर पड़ते ही चादर फट गयी और दोनों लड़किया दहकते अंगारों में जा गिरीं। इन बच्चियों की राख को निकालने के लिए भी गहरी खुदाई मे काम आने वाली मशीन (एक तरह की मशीन जो गहरी खुदाई के काम आती है) की मदद लेनी पड़ी। इसके बावजूद, चार घंटे की कोशिश के बाद भी सिर्फ स्वपना के कूल्हे की एक हड्डी ही बाहर निकाली जा सकी।

20 जनवरी को उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित दुर्गा ब्रिक इंडस्ट्रीज में हुए एक बड़े अग्निकांड में दो बाल मजदूर मारे गये थे और दो घायल हुए थे। राजस्थान के शिवदासपुरा इलाके के एक भट्टे में 6 साल का सूरज और उसकी दो साल छोटी बहन रूबी भट्टे के एक चेम्बर में गिर गये थे और वहीं जलकर राख हो गये। विडंबना की बात यह है कि इस घटना के फौरन बाद सारे मजदूर वहां से भाग खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर पुलिस आयी तो बाल मजदूरी के नाम पर उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा।

देश भर के भट्टों में घटने वाली ये इक्का–दुक्का घटनायें नहीं हैं। हमारे देश के भट्टों में हर उम्र के बच्चे मजदूरी करते हैं। उनके जिस्मों पर घाव हैं, उनकी हड्डियों पर टूटने के निशान हैं, और वे तरह–तरह के उत्पीड़न व यातना के शिकार हैं।

बच्चों के साथ होने वाले ऐसे ज्यादातर हादसों को कहीं दर्ज नहीं किया जाता है मगर जो थोड़े से मामले दर्ज हो पाते हैं वे भी दोषियों को सजा दिलाने के मुकाम तक नहीं पहुंचते। जो इस सारी यातना के बावजूद किसी तरह जिंदा बच जाते हैं वे एक स्थायी दुःख और अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिए जाते हैं।

क्या हमारे समाज या हमारी सरकारों के पास किसी बच्चे से उसका बचपन छीनने का हक है? राज्य और केंद्र की सरकारें कब इन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का जिम्मा स्वीकार करेंगी?

ईंट भट्ठा मजदूरों के बच्चों को गांव के स्कूल में प्रायः जगह नहीं मिल पाती क्योंकि जब उनके मां–बाप काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो बच्चे भी उनके साथ जाते हैं और इस तरह वे हर साल छह महीने से ज्यादा समय तक स्कूल से गैरहाजिर रहते हैं। भट्ठा मजदूरों के इन हालात को बदलने के लिए सरकार, खासतौर से राज्य सरकारों को सुनियोजित और लगातार कोशिश करनी होगी। ओडिशा सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के स्कूली उम्र के बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने का प्रावधान किया है। अगर इस प्रस्ताव को संजीदगी से लागू किया जाता है तो यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ईंट भट्टों का पंजीकरण भी केवल तभी किया जाना चाहिए जब वहां बालवाड़ी (क्रेच) पूरी तरह से व्यवस्थित हो।

बेचेहरा...ओझल... दिन-रात खटना
उत्तरप्रदेश के एक भट्टे की एक पथेरन की कहानी

कलावती देवी (बदला हुआ नाम) और उनके पति ने 50,000 हजार रुपये का कर्जा लिया था जिसको चुकाने के लिए वे दोनों पिछले चार साल से उत्तर प्रदेश के इटावा के एक ईट भट्टे में हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यह परिवार पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मुस्तफापुर गांव से आया है।उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए पेशगी/एडवांस लिया था। उनके अपने इलाके में रोजगार के मौके ज्यादा नही थे इसलिए उन्हें मजबूरन यहां के भट्टों में काम के लिए आना पड़ा। अपने बच्चों को परिवार के दूसरे लोगों की देखरेख छोड़ कर वे यहां चले आये।

जो ठेकेदार उन्हें भट्टे पर लेकर आया था उसने कहा था कि उन्हें 500 रुपये दिहाड़ी, पथाई के लिए बढ़िया मिट्टी और भट्टे पर ही रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहां आकर मालूम हुआ कि उन्हें महज 450 रुपये मजदूरी मिलेगी और उन्हें घटिया किस्म की मिट्टी से ईंटें बनानी पड़ेंगी। यहां की मिट्टी में अकसर कांच के टुकड़े तक निकल आते हैं। आलम ये है कि ईंटें पाथने से पहले उन्हें बड़ी सावधानी से कांच की किरचों को निकालना पड़ता है।

कलावती कहती हैं, "काम, काम, काम... इसका कोई अंत नहीं है।" घर के सारे काम करके कलावती अपने पति के साथ सुबह 6 बजे ही ईंटें पाथने लगती हैं। वह कहती हैं, "काम के बीच सुस्ताने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस दोहपर को रोटी खाने के लिए ही रुकती हूं।"

भट्टे पर मकान का वादा सिर्फ एक झांसा ही निकला। तमाम दूसरे भट्टों की तरह यहां भी सिर्फ टेम्परेरी शेड बना दिये गये हैं जहां मजदूर कच्ची ईंटों की दीवारों और पॉलीथीन की छत के साये में रहते हैं। मजदूरों के शेड में न तो बिजली है और न पानी है। कलावती बताती हैं कि "यहां का पानी बहुत गंदा है मगर चाहे खाना बनाना हो, साफ–सफाई करनी हो और चाहेईंटें पाथनी हों, हर काम के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईंटें पाथने के लिए काफी पानी की जरूरत पड़ती है इसलिए हम पानी की एक बूंद भी ज़ाया नहीं कर सकते!"

औरतो और, मजदूरों को टॉयलेट की सुविधा तक मुहैया नहीं है। वह कहती हैं, "हमें शौच के लिए खुले में ही जाना पड़ता है। औरतें और लड़कियां खुले में ही नहाती हैं। शुरू में तो हममें से कई को खुले में शौच और नहाने–धोने की सोचकर भी शर्म आती थी मगर अब तो हमें भी आदत पड़ गयी है।" वह रात में अकेले शौच के लिए बाहर निकलने की कल्पना से ही घबरा जाती हैं।

तमाम दूसरे भट्टा मजदूरों की तरह कलावती को भी अपने अधिकारों और सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं था। वह नहीं जानती थीं कि एक मजदूर के नाते उनके क्या अधिकार हैं। वह बताती हैं, "जब हमबीमार पड़ते हैं तो पास ही में एक डॉक्टर के पास चले जाते थे। मालिक ने हमारे इलाज और दवा–दारू का कभी कोई बंदोबस्त नहीं किया। बल्कि बीमार पड़ने पर हमसे यही पूछा जाता था कि आज हमने पूरी ईंटें क्यों नहीं बनायी।" बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए आने वाली औरतों के अलावा इन भट्टों में कोई सरकारी कर्मचारी उन्हें दिखायी नहीं देता। यहां तक कि इन भट्टों में आशा कार्यकर्ता भी नहीं आतीं।

कलावती को कभी इस बात का पता ही नहीं था कि एक मजदूर के नाते उनके अधिकार भी ठीक वही हैं जो उनके पति के हैं। उन्हें अपनी कठोर मेहनत का तो पता था मगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि कानूनन उन को भी एक मजदूर की हैसियत मिलनी चाहिए, उनका नाम भी बाकायदा एक मजदूर की तरह दर्ज पर होना चाहिए। बेचेहरा... ओझल... वह दिन–रात बस खट रही हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनका कर्जा चुक जाएगा और उनका परिवार इस बंधुआगीरी के जाल से आजाद हो जाएगा।

स्रोतः भावना सल्होत्रा के काम पर आधारित।

द्वारा CEC BUILDING A WIDER HORIZON WITH LABOUR

सहभागी Volunteers for Social Justice & Dalit Dasta Virodhi Andolan

सहयोग anti-slavery today's fight for tomorrow's freedom

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत